

## पीएमओ ने दी पोषण मानदंडों को मंजूरी

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार पूरक पोषण दशा-नरिदेशों को मंजूरी दी है।

### असहमत के मुख्य बिंदु

- माना जा रहा है कि संबंधित मंजूरी मेनका गांधी की सफारिशों को दरकिनार करके दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि पीएमओ ने प्रस्तावित मानदंडों पर मेनका गांधी और मंत्रालय के अधिकारियों के बीच सालों से चले आ रहे मतभेद के चलते यह कदम उठाया है।
- असहमत का केंद्रबिंदु मुख्यतः एकीकृत बाल विकास योजना के तहत 14 लाख आंगनवाड़ियों से 10 करोड़ बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन और घर ले जाने के लिये राशन देने की योजना संबंधित था।
- हालाँकि, मेनका गांधी का सुझाव था कि घर ले जाने वाले राशन को उन स्वयं सहायता समूह से प्राप्त किया जाए जिनके पास पर्याप्त संख्या में नरिमाण की सुविधा हो या फिर इसे सरकारी या नज्दी संस्थाओं से लिया जाए।

### एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS)

- यह योजना वर्ष 1975 में 6 साल से कम आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास (स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा) के लिये एक पहल के रूप में शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य शिशु मृत्यु दर, बाल कुपोषण को कम करना और पूर्व-वर्द्धालय शिक्षा प्रदान करना है।
- ICDS योजना की नगिरानी संबंधी समग्र ज़म्मेदारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) की है।
- ICDS योजना के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माँ की पहुँच चार मुख्य सेवाओं जैसे- प्रतरिक्षा, पूरक पोषण, स्वास्थ्य, और शिशु विकास के तहत 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की पहुँच पूर्व-स्कूल गैर-औपचारिक शिक्षा तक सुनिश्चित कराना।
- महिलाओं और कशिरावस्था की लड़कियों की पहुँच पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा तक सुनिश्चित किया जाना।
- उपर्युक्त सभी सेवाएँ स्थानीय आईसीडीएस (या आँगनवाड़ी) केंद्र से आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

- दरअसल, वह चाहती थी कि रैडी टू ईट पैकेटबंद खाना लाभार्थी बच्चों को बाँट दिया जाए, जबकि विभाग के अधिकारी इस पक्ष में थे कि बच्चों को दिये जाने वाले खाद्य पदार्थ सरिफ स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्रियों से नरिमति किये जाएँ।
- इसके अलावा, असहमत का एक मुद्दा आँगनवाड़ी में अनुपूरक पोषाहार कैसे दिया जाए, से भी संबंधित था।
- मेनका गांधी ने नीति निर्माताओं से कहा था कि हमें सरिफ खाना देने के बारे में सोचने की जगह पोषण देने के बारे में सोचना चाहिये, जबकि अधिकारियों ने नीति आयोग से कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्य सुरक्षा का अर्थ ज़रूरतमंदों तक तय मात्रा में खाद्य अनाज और भोजन पहुँचाना है।

